

श्रीमान जी, निवेदन है कि ग्राम खीणधाला नगर जमा. सं. 2073-76 में खाला सं. 80 में रामजीलाल मखन पिठ प्रभाता दर्ज ही पार्सी द्वारा प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड में पार्सी के पिता का नाम प्रभाता के वजाय प्रभातीलाल बुइ नाम ही अतः रामजीलाल मखन पिठ प्रभाता के वजाय रामजीलाल मखन पिठ प्रभातीलाल बुइ दिया जाना उचित है।

बुइ किया जा रहा प्रतीति है

उपस्थित 28/5/18
अवगत 28/05/18
डि. पा. गा. कार्यालय

30.5.18 श्री. रा. म. म. म. म.

9.0.0.84

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार - 2018

133
2018

आदेश

30/5/18 चणवली न्याय राजस्व लोक अदालत केम्य आरडी में पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट ली गई।

उत्वाचिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के पार्सी का पार्सी फु कन्वर्ट धारा 136 C.R. Act के तहत पाया जाता है।

राजस्व लोक अदालत की भावना को देखते हुए पार्सी का पार्सी फु कन्वर्ट रिकार्ड डफ्टरी लकीकार रिया जाता है।

तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खीणधाला नगर जमा. सं. 2073-76 में खाला सं. 80 में दर्ज खोबदार रामजीलाल मखन पिठ प्रभाता के स्थान पर रामजीलाल मखन पिठ प्रभातीलाल दर्ज कर राजस्व रिमांड में डफ्टरी में 1 कड़िया जारी हो। चणवली के पत्र उठाए होकर कन्वर्ट के कर होकर कार्डिंग दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी; नीमकाथाना